

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) पिन-492002
 दूरभाष कार्यालय-(0771-2512108, फ़ैक्स-2512102) वेब साइट-www.siccg.gov.in ईमेल-sic.cg@nic.in

कमांक 1819 /स्था/छगरासूआ/20
 प्रति,

रायपुर, दिनांक /12/2020

15 DEC 2020

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन,

महानदी भवन, मंत्रालय,
 नवा रायपुर अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 की जानकारी विधानसभा पटल पर रखे जाने के संबंध में।

—00—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 के प्रावधानों के तहत राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विधिवत विधानसभा पटल पर निश्चित समयावधि में रखा जाना है। मंत्रालय के समस्त विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों से ऐसी सूचना एकत्रित कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) को उपलब्ध करायेंगे।

2. गत वर्ष की भांति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को दी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन जानकारी के लिए कुल 8 प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। विभागवार वार्षिक प्रतिवेदन जानकारी जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित की जावेगी।

3. अतएव वर्ष 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विधानसभा पटल में रखे जाने हेतु 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की चाही गई जानकारी संकलित कर दिनांक 25 जनवरी, 2021 तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विभागीय सचिवों के द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से एकत्रित एवं संकलित कर एकजाई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में परिशिष्ट 4.1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 4.9 में आयोग को भेजना सुनिश्चित की जावें। जिन विभागों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाएँ आती हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सचिव विभागीय जानकारी के साथ भेजेगें।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अंतर्गत सूचना आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विभागों का है। अतः यह पत्र अग्रिम सूचना के साथ प्रेषित करते हुए निर्देशानुसार अनुरोध है, कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों से जानकारी एकत्रित एवं संकलित कर निर्धारित प्रपत्र में छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0) को दिनांक 25 जनवरी, 2021 तक भेजने का कष्ट करें।

संलग्न:-सहपत्र कुल 08 प्रपत्र

सचिव 15.12.2020

OK

छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
 रायपुर

पृ० कमांक 1820 /स्था/छगरासूआ/20

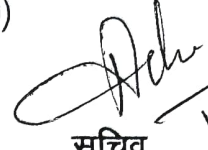
रायपुर, दिनांक

/12/2020

प्रतिलिपि:-

.15 DEC 2020

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ०ग०)


15.12.2020

सचिव

छ०ग० राज्य सूचना आयोग

रायपुर

परिशिष्ट 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंतर्गत
स्वप्रकटन करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण

[illegible]

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण

[illegible]

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण

[illegible]

प्रथम अपील एवं निराकरण का विवरण

[illegible]

[illegible]

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

[illegible]

परिशिष्ट 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

[illegible]